वाणिज्य विभाग Commercial Department

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL

बिजली/पेय जल के पुनर्संयोजन/वियोजन के लिए आवेदन पत्र

Application for Reconnection/Disconnection Electricity/Filtered Water

	Application for reconficultion bisconficultion Electricity/ Intered water
नई '	न, Secretary देल्ली नगरपालिका परिषद् v Delhi Municipal Council
	देल्ली
	v Delhi
	मैं /मैंने निम्नलिखित परिसर का कब्जा दिनांक
दिनां व	कको प्रकाश /पावर /पेयजल की आपूर्ति (सप्लाई) का संयोजन कर दिया जाये।
	I shall occupy/have occupied the premises mentioned below ontherefore
ligh	t/power/filtered water supplies may be connected on
1.	परिसर संख्या
	Premises No.
2.	नाम (साफ अक्षरों में)
	Name (in Block Letters)
3.	पद् संख्या
,	Designation
	tetted/NonGazetted
4.	कार्यालय का पता Office Address
-	Unice Address पता जहां बिल भेजने हैं (यदि वह सरकारी अराजपत्रिक कर्मचारी है
5.	तो कार्यालय तथा मंत्रालय आदि का नाम अवश्य दिया जाए।)
	Address where bill are to be sent
	(in case of NonGazetted Government servants Name of the office and name of the Ministry must be given)
,	मैंनेदिनांकदिनांक
	के अन्तर्गत जमा कर दी है।
	I have deposited as security deposit RsVide CR No
	Thave deposited as security deposit ris
	या OR
	प्रतिभूति-पत्र नीचे संलग्न कर दिया है।
	A letter of guarantee from enclosed/appended below.
	A letter of guarantee from the same and the
	मुझे निम्नलिखित नियमों एवं निर्देशनों का पालन स्वीकार है :
	I hereby agree to abide by the following Rules & Instructions:
1.	मैं अपने परिसर में लगे बिजली और जल के मीटरों तथा दूसरे उपकरणों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हूँ तथा मेरी असावधानी या चोरी हों जाने के कारण ऐसे किसी भी उपकरण को (पूर्ण या आंशिक) क्षिति पहुँचने पर उसके लिए मेरा दायित्व होगा।
	I shall be responsible for the safe custody of electric and water meters and other apparatus installed at my premises and any damage to such equipment or loss (wholly or in parts) due to my negligence or theft shall be my liability
2.	उपरोक्त परिसर में उक्त तिथि को बिजली तथा जल का मीटर मेरे उत्तरदायित्व पर लगा दिया जाये चाहे मकान से मीटर स्थापित के समय मैं स्वयं या मेरे प्राधिकृत प्रतितिधिी भी उपस्थित न हों।
	The Electric and water meters may be installed at the above said premises on the date as mentioned, even if I myself or my authorised representatives are not available at the Premises at the time of installation at my risk.
3.	मैं बिजली/जल की आपूर्ति के वियोजन के समय न.दि.न.पा.प. को एक सप्ताह पूर्व लिखित आवश्यक सूचना दूंगा, अन्यथा वियोजन तिथि तक के प्रभारों के भूगतान के लिए दायित्व मेरा होगा।

I shall give the necessary intimation to the NDMC one week in advance in writing for disconnection of electric/water supply failing which I shall be responsible for payment of all charges upto th date of

	4.	मैं इस संयोजन के लिए संयोजन की अपेक्षित तिथि से कम से कम 48 घण्टे पहले सूचना ढूंगा। I shall give the information for connection at least 48 hours before the date on which the connection is required.
	5.	आर्वटन पत्र और कब्जा पत्र दोनों प्रकार की सूचनायें संलग्न है।
		For connection the copy of allotment, possession letters have been enclosed.
	6.	बिजली/जल की आपूर्ति के वियोजन के संदर्भ में मैंने भुगतान किया बिल, रसीद की प्रतिलिपियाँ संलग्न कर दी है और वियोज के समय परिसर में मैं स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि परिसर पर उपस्थित रखूँगा।
		The receipt of payment of Electric/Water is enclosed herewith for disconnection to the connections and myself or my representative shall be available at the time of disconnection at the premises.
		परिसर संख्या
		को खाली कर दूंगा/खाली कर दिया है। इसकी आपूर्ति/सप्लाई का वियोजन दिनांकको कर दिया जाये जबि भविष्य में मेरा पता निम्नलिखित रहेगा:
		I shall vacate/have vacated premises No
		नाम / Name
		भविष्य में पत्र त्यवहार का पता / Future Correspondence Address
		उपभोक्ता के हस्ताक्षर एवं नाम
		Signature of the Consumer and Name
		ZZEW /Tolonbono No.
		दूरमाष / Telephone No
		There is a second
		प्रतिभूति प्रपत्र
		GUARANTEE FORM
		यह मंत्रालय /कार्यालय /निदेशालय परिसर संख्या
	में रह	ले वाले श्री/श्रीमती/कुमारी के बिजली एवं जल
	प्रभार	के भुगतान को गारण्टी लेता हूँ।
		This Ministry/Office/Diseases and a second s
	pren	This Ministry/Office/Directorate guarantee payment of electricity and water charges in respect on the second secon
, ,	Desi	ignation
	क्राक्ट	भुगतान न होने पर यह विभाग पालिका को भुगतान की जाने वाली राशि को सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से बिल आदि से वसूल उसे पालिका में जमा करा देगा।
		उसे पालिका में जमा करा देगा। In case of default this department shall recover the amount due to the NDMC from the salary bill etc. of official and remit the same to the council.
		The state of the s
	नकद !	सन्बन्धित कर्मचारी को उसके आवास में लगाये गये प्रकाश /पावर /जल मीटर के लिए पालिका द्वारा संयोजन के समय पर निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा कराने में छूट दी जाये।
	in re	The concerned official may be exempted from making cash security deposit prescribed by the Council spect of light/power/water meters at the time of release of connection in his/her residence.
		The special region of the second of the seco
X	Desp	patch no
	दिनांक Date	कार्यालय की मोहर Official Seal